The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

सा.का.नि. 227(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 के एवं धारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 2009 कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाया गया और इस अधिसूचना की अनुसूची में संलग्नित है।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के खंड (बी) और उक्त अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (1) के तहत केंद्रीय सरकार के अनुमोदन सहित, दी गई प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन का न्यासी मंडल, कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1985 को आगे संशोधित कर निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक व प्रारंभ** :—(1) यह विनियम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 2009 के नाम से जाना जाएगा।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह विनियम प्रभावी होगा।

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1985 जो आगे उक्त विनियम, के नाम से जाना जाएगा।

(i) 'कोलकाता' शब्द 'कलकत्ता' शब्द को प्रतिस्थापित करेगा, जहाँ कहीं भी हो।

(ii) अंक, '180' को अंक '300' से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहाँ कहीं भी हो।

(iii) अंक, '90' को अंक '150' से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहाँ कहीं भी हो।

3. उक्त विनियम के विनियम 36 में उपविनियम (1), के स्थान पर निम्न उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(1) एक महिला कर्मचारी, प्रशिक्षु सहित, जिसके दो जीवित बच्चे से अधिक बच्चे न हों, को छुट्टी अनुदान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रसूति अवकाश, 135 दिवस की अवधि के लिए, मंजूर किया जा सकता है :

बशर्ते कि इस प्रकार के अवकाश की इस अवधि के दौरान उन्हें अवकाश वेतन प्रदान किया जाएगा जो छुट्टी पर जाने के पूर्व तत्काल उठाए गए वेतन के समतुल्य होगा"।

4. उक्त विनियम के विनियम 36 के बाद निम्न विनियम अंतर्भुक्त किया जाएगा, यथा :—

"36(ए) 'पितृत्व अवकाश'.—(1) एक पुरुष सरकारी कर्मचारी, प्रशिक्षु सहित, जिसके दो जीवित बच्चों से अधिक न हों, को उनकी पत्नी के कन्फाइन्मेंट के दौरान 15 दिवस की अवधि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा पितृत्व अवकाश मंजूर किया जाएगा :

बशर्ते कि इस प्रकार के अवकाश की इस अवधि के दौरान, उन्हें वहीं अवकाश वेतन प्रदान किया जाएगा, जो छुट्टी पर जाने के पूर्व तत्काल उठाए गए वेतन के समतुल्य होगा"

(2) पितृत्व अवकाश लेखा के विरुद्ध डेबिट नहीं किया जाएगा और अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जाएगा।

(3) पितृत्व अवकाश किसी भी स्थिति में सामान्यत: खारिज नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. पीआर-12016/25/2000-पीई. 1]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 495(अ), दिनांक 14 जून, 1985 के तहत प्रकाशित हो चुका है, तथा कालांतर में संशोधन विनियम का प्रकाशन सा.का.नि. 861(अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 को हुआ ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

G.S.R. 227(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees' (Leave) Amendment Regulations, 2009 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta as set out in the Schedule annexed to this notification :—

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) and with the approval of the Central Government as required under sub-section (1) of Section 124 thereof, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following regulations further to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Leave) Regulations, 1985, namely :—

1. **Short title and Commencement** .—(1) These regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Leave) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Throughout the Calcutta Port Trust Employees' (Leave) Regulations, 1985 (hereinafter refer to as the said regulations),—

(a) for the word "Calcutta", wherever it occurs, the word "Kolkata" shall be substituted.

(b) for the figure "180", wherever it occurs, the figure "300" shall be substituted.

(c) for the figure "90", wherever it occurs, the figure "150" shall be substituted.

3. In the said regulations, in regulation 36, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) a female employee, including an apprentice, having not more than two surviving children may be granted maternity leave for a period of 135 days by the authority competent to grant leave:

Provided that during the period of such leave, the employee shall be paid salary equal to the pay drawn by her immediately before proceeding on such leave."

4. In the said regulations, after regulation 36, the following regulation shall be inserted, namely :—

"36A. Paternity Leave.—(1) A male employee, including an apprentice, having not more than two surviving children may be granted paternity leave for a period of 15 days during the confinement of his wife by the authority competent to grant leave :

Provided that during the period of such leave, the employee shall be paid salary equal to the pay drawn by his immediately before proceeding on such leave.

(2) Paternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with any other kind of leave.

(3) Paternity leave may not be normally refused."

[F. No. PR-12016/25/2000-PE. I]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal regulations were published *vide* number G.S.R. 495(E), dated the 14th June, 1985 and subsequently amended *vide* number sG.S.R. 861(E), dated the 16th October, 1987.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.